नईदुनिया

संपादकीय

फर्स्ट एसी में चूहा राज, काट ली बुजुर्ग की नाक

भारतीय रेलवे ने फिर इतिहास रच दिया है। ऊना-इंदौर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में चूहे ने 78 वर्षीय बुजुर्ग की नाक काट ली। यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। यह विश्वस्तरीय उपलब्धि है। दुनिया बुलेट ट्रेन पर शोध कर रही है और हमारा रेलवे चूहा ट्रेन पर शोध कर रहा है। इस महान खोज के लिए रेलवे को तुरंत पुरस्कार मिलना चाहिए।

फर्स्ट एसी का टिकट हवाई जहाज से भी महंगा है। यात्री सोचता है कि महंगा टिकट लिया है तो कम से कम चैन से सो पाएगा। लेकिन रेलवे कहता है- नहीं, हम आपको रोमांच देंगे। टिकट के साथ मुफ्त में चूहा मिलेगा और जरूरत पड़ी तो रैबीज का इंजेक्शन भी। यही है रेलवे का नया ऑफर।

बुजुर्ग ने चंडीगढ़ से इंदौर तक आराम से सफर करने का सपना देखा था। रेलवे ने कहा- सपना नहीं, एडवेंचर देखिए। रात करीब साढ़े दस बजे चूहे ने हमला किया और नाक कुतर ली। अब बुजुर्ग अस्पताल में इंजेक्शन लगवा रहे हैं और रेलवे अपने एसी दफ्तर में फाइलों में पेस्ट कंट्रोल कर रहा है।

रेलवे हर साल सफाई पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने का दावा करता है। पेस्ट कंट्रोल के लिए बड़ी कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं। अब समझ में आया कि यह पैसा आखिर जाता कहां है। शायद चूहों के पालन-पोषण में! तभी तो चूहे इतने ताकतवर हो गए हैं कि फर्स्टएसी तक पहुंच गए।

कागजों में दवा छिड़कती है, फाइलों में चूहे मरते हैं और हकीकत में चूहे यात्रियों की नाक काटते हैं। यही कागजी स्वच्छता की असली तस्वीर है। शिकायत करो तो गंदगी साफ हो जाती है, लेकिन चूहा नहीं। यात्रियों ने पहले ही शिकायत की थी कि कोच में चूहा और गंदगी है। स्टाफ ने गंदगी साफ कर दी, लेकिन चूहे को छोड़ दिया। आखिर क्यों? शायद चूहा अब रेलवे का स्थायी कर्मचारी है। उसका भी पीएफ कटता होगा, इसलिए नौकरी से निकालना मुश्किल है।

एक तरफ वंदे भारत पर फूल बरस रहे हैं, बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आम ट्रेन में चूहे दांत बरसा रहे हैं। मंत्री जापान में रेलवे के विकास की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और इधर फर्स्टएसी में चूहा यात्रियों की नाक काट रहा है।

रेलवे को अब नया नारा देना चाहिए- पहले चूहा मुक्त भारत, फिर बुलेट भारत। यह पहला मामला भी नहीं है। कुछ दिन पहले इंदौर एयरपोर्ट पर भोपाल के एक यात्री को चूहे ने काट लिया था। यानी चूहों ने हवाई और रेल, दोनों अड्डों पर कब्जा कर लिया है। अब सड़क मार्ग ही बचा है। लगता है चूहों ने बाकायदा यूनियन बना ली है। उन्होंने तय कर लिया है कि जहां सबसे ज्यादा सफाई का दावा होगा, वहीं हमला करेंगे।

रेलवे फिर कहेगा- जांच बैठाई है, कार्रवाई होगी। यही पुराना कैसेट हर घटना के बाद बजता है। लेकिन असली जिम्मेदार चूहा नहीं, वह सिस्टम है जो करोड़ों के बजट के बावजूद आंखें बंद किए रहता है। बड़े साहब कभी बिना वीआईपी सुविधा के फर्स्ट एसी में सफर करें, तब पता चलेगा कि चूहे का दर्द क्या होता है। यह केवल एक बुजुर्ग की नाक नहीं कटी है, रेलवे की नाक कटी है। करोड़ों का बजट है, बड़े-बड़े दावे हैं, प्रचार है, लेकिन जमीन पर चूहा राज है। यदि अब भी नींद नहीं टूटी तो रेलवे को अपने विज्ञापनों में लिखना पड़ेगा- कृपया अपनी नाक अपनी जिम्मेदारी पर लाएं।

आजकल

फसल बीमा योजना से क्यों टूट रहा किसानों का भरोसा

सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज अपने ही लक्ष्य से भटकती दिख रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार साल में 73 लाख किसानों ने इस योजना को छोड़ा है और करीब 388 लाख हेक्टेयर रकबा बीमा से बाहर हो गया है। यह सामान्य गिरावट नहीं, बल्कि किसानों के भरोसे में आई कमी है।

तालिका पर गौर करें तो 2023 में 240 लाख किसान बीमित थे। 2024 में यह संख्या 247 लाख हुई, लेकिन 2025 में गिरकर 201 लाख और 2026 में मात्र 174 लाख रह गई। प्रीमियम संग्रह और भुगतान के आंकड़ों में भी बड़ा अंतर है। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम लेने में सबसे आगे, लेकिन भुगतान के समय सबसे पीछे रहती हैं। गांवों में सर्वे के नाम पर खानापूर्ति होती है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट देर से होते हैं और तकनीकी खामियों का हवाला देकर क्लेम रोक दिया जाता है।

कई राज्यों में बीमा कंपनियों ने आपत्तियां लगाई हैं। कहीं पोर्टल बंद होने का बहाना, तो कहीं दस्तावेज अधूरे होने का तर्क दिया जाता है। किसान चक्कर लगाते-लगाते थक जाता है और अंत में योजना से ही बाहर हो जाता है।

जटिल प्रक्रिया भी किसानों की परेशानी बढ़ाती है। कई बार बैंक प्रीमियम काट लेता है, लेकिन रसीद नहीं देता। नुकसान होने पर पता चलता है कि बीमा ही नहीं हुआ। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और सूखे के बाद किसान को तुरंत मदद चाहिए, लेकिन क्लेम छह महीने से सालभर बाद आता है। कई बार पूरे गांव की फसल बर्बाद होने के बावजूद कुछ किसानों को ही आंशिक भुगतान मिलता है।

सरकार को तीन कड़े कदम उठाने चाहिए। पहला, समय पर क्लेम न देने वाली कंपनियों पर जुर्माना और ब्लैकलिस्ट की व्यवस्था हो। दूसरा, सर्वे प्रक्रिया में किसान संगठनों और पंचायतों की भागीदारी हो। तीसरा, भुगतान सीधे डीबीटी से और समयबद्ध हो। 73 लाख किसानों का योजना छोड़ना खतरे की घंटी है। यदि समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई तो किसान बीमा को सुरक्षा नहीं, बोझ समझने लगेगा।

पंजाब चुनाव में भाजपा-अकाली गठबंधन पर सस्पेंस

सीट शेयरिंग बनी सबसे बड़ी अड़चन

पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की संभावनाएं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आकर टिक गई हैं। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल गठबंधन पर खुलकर कुछ नहीं कह रहा है, वहीं पार्टी की पंजाब इकाई अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की पैरवी कर रही है। गौरतलब है कि पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहती आ रही है। हालांकि, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात और इसके बाद अकाली दल का महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में खड़ा होना, दोनों दलों के बीच बढ़ती नजदीकी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

शहरी और ग्रामीण प्रभाव गठजोड़ के पक्ष में: दोनों दलों के रणनीतिकार मानते हैं कि पंजाब में भाजपा और अकाली दल का गठबंधन चुनावी तौर पर मजबूत साबित हो सकता है। भाजपा को राज्य के शहरी इलाकों में मजबूत माना जाता है, जबकि अकाली दल की पकड़ ग्रामीण और पारंपरिक सिख मतदाताओं के बीच रही है। ऐसे में दोनों दलों का सामाजिक और भौगोलिक आधार एक-दूसरे का पूरक बन सकता है। कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बन रही लहर को देखते हुए भाजपा और अकाली दल को लगता है कि यह सही समय है, जब वे मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं।

सबसे बड़ी अड़चन सीटों के बंटवारे को लेकर है। अकाली दल पहले भाजपा को 23 विधानसभा सीटें देता रहा है और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है। भाजपा अब इस संख्या से काफी आगे बढ़कर सीटों पर दावा कर रही है। पार्टी के रणनीतिकारों की ओर से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पहले या दूसरे स्थान पर रहने वाली 54 विधानसभा सीटों को संभावित दावे के आधार के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के मुताबिक, पहले भी पार्टी एक बार 23 में से 17 सीटें जीत चुकी है। अभी कांग्रेस में असंतोष और आप के विरोध में चल रही लहर के चलते पार्टी अच्छी सीटें जीत सकने की स्थिति में है।

अकाली दल यदि ज्यादा सीटें भाजपा को देता है तो उसके अपने जनाधार पर असर पड़ सकता है। अकाली दल का मानना है कि उसका कोर वोट बैंक सिख ग्रामीण मतदाता है और वह किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव वाले इलाकों में भाजपा को ज्यादा जगह नहीं देना चाहता। यही कारण है कि पुराने फॉर्मूले पर ही बातचीत अटकी हुई है।

एक पूर्व मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री के बीच अनौपचारिक स्तर पर बातचीत हो रही है। भाजपा के एक अन्य नेता के मुताबिक, पार्टी की आंतरिक चर्चाओं में करीब 40 से 47 विधानसभा सीटों को भाजपा के प्रभाव वाली मजबूत सीटों के तौर पर चिन्हित किया गया है। ऐसे में भाजपा के लिए पुराने 23 सीटों के फॉर्मूले पर लौटना आसान नहीं होगा। पार्टी का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में उसका संगठन और चुनावी प्रभाव पंजाब में बढ़ा है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है और शहरी क्षेत्रों में पार्टी ने अच्छी पकड़ बनाई है।

पार्टी के भीतर एक धड़ा ऐसा भी है, जो मानता है कि अकेले चुनाव लड़ने से पार्टी का अपना जनाधार स्पष्ट होगा और भविष्य में वह बड़ी भूमिका में आ सकेगी। पंजाब इकाई का कहना है कि यदि गठबंधन होता भी है तो सम्मानजनक सीटों पर ही होना चाहिए। 23 सीटों पर समझौता करना कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ सकता है।

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पर बेहद सावधानी से कदम रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति रही है कि पहले जमीनी स्थिति का आकलन किया जाए और फिर अंतिम फैसला लिया जाए। सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि पंजाब में उसे फिर से अकाली दल के जूनियर पार्टनर के रूप में देखा जाए, वहीं अकाली दल भी नहीं चाहता कि भाजपा के कारण उसका पंथक वोट बैंक नाराज हो जाए।

पिछले विधानसभा चुनावों में अकाली दल और भाजपा अलग-अलग लड़े थे और दोनों को नुकसान हुआ था। अकाली दल को 2022 में केवल तीन सीटें मिली थीं, जबकि भाजपा को दो सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इसके बाद दोनों दलों को एहसास हुआ कि अलग-अलग लड़ने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को फायदा होता है। इसलिए इस बार गठबंधन की चर्चा फिर तेज हुई है।

फिलहाल दोनों दलों के बीच अनौपचारिक बातचीत जारी है और आने वाले महीनों में तस्वीर साफ हो सकती है। यदि सीट शेयरिंग पर बात बनी तो एक साथ होंगे भाजपा-अकाली। यह तय है कि पंजाब की राजनीति में भाजपा और अकाली दल का गठबंधन एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। लेकिन सवाल वही है कि क्या भाजपा 23 सीटों के पुराने फॉर्मूले को छोड़ने को तैयार होगी और क्या अकाली दल 40 से ज्यादा सीटें देने को तैयार होगा?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अंत में दोनों दलों को बीच का रास्ता निकालना होगा। भाजपा को 30 से 35 सीटों पर मानना पड़ सकता है और अकाली दल को भी थोड़ा लचीला होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साझा दुश्मन इस समय आम आदमी पार्टी है। यदि दोनों अलग-अलग लड़े तो इसका सीधा फायदा आप और कांग्रेस को मिलेगा।

पंजाब चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन गठबंधन की सुगबुगाहट ने सियासत गरमा दी है। सीट शेयरिंग की अड़चन के बावजूद दोनों दलों के बीच नजदीकी बढ़ रही है। शहरी और ग्रामीण का यह गठजोड़ यदि बनता है तो पंजाब की चुनावी तस्वीर बदल सकती है। अब देखना यह है कि भाजपा अपनी पंजाब इकाई की भावना को मानती है या केंद्रीय नेतृत्व अकाली दल के साथ पुराने संबंधों को फिर से मजबूत करने का फैसला करता है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

सीएए पर बड़ा बदलाव, कलेक्टर करेंगे नागरिकता का फैसला

राजस्थान समेत आठ राज्यों में हजारों लंबित मामलों में तेजी की उम्मीद

नागरिकता पाने की प्रक्रिया को आसान और तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 के तहत अब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के संबंधित जिला कलेक्टर सीएए की धारा 6बी के तहत पात्र आवेदनों पर सीधे फैसला कर सकेंगे। असम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र इसके दायरे से बाहर हैं।

नई व्यवस्था में कलेक्टर आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों की जांच, जरूरी पूछताछ और पात्रता तय करने के बाद नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। वे आवेदक को निष्ठा की शपथ भी दिला सकेंगे। यानी अब सीएए के तहत पात्र आवेदन के अंतिम निस्तारण के लिए केंद्र की सशक्त समिति के स्तर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। समितियों के पास पहले से लंबित आवेदन भी संबंधित कलेक्टरों को ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर जांच और फैसला होने से प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

पहले जिला स्तर पर आवेदन की जांच के बाद इसे राज्य/यूटी की सशक्त समिति के पास भेजा जाता था। इसकी अध्यक्षता संबंधित जनगणना संचालन निदेशक करते थे। समिति में खुफिया ब्यूरो, एसआईबी, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और डाक विभाग के अधिकारी शामिल होते थे। समिति दस्तावेजों और सुरक्षा संबंधी रिपोर्टों की जांच के बाद नागरिकता देने पर फैसला करती थी। इस लंबी प्रक्रिया के कारण हजारों आवेदन सालों से लटके हुए थे। अकेले राजस्थान में करीब 600 आवेदन लंबित हैं।

नई व्यवस्था में छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में जिला कलेक्टरों को सीएए की धारा 6बी के तहत पात्र आवेदनों पर सीधे फैसला करने का अधिकार मिला है। यानी अब कलेक्टर ही सारी जांच पूरी कर अंतिम निर्णय ले सकेंगे।

सरकार के नए प्रावधानों से लंबित नागरिकता आवेदनों के जल्द निपटारे की उम्मीद है। समितियों के पास लंबित आवेदन संबंधित कलेक्टरों को भेजे जाएंगे। इससे इनके जल्द निपटारे की उम्मीद है। आवेदकों को बार-बार राज्य और केंद्र के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और स्थानीय स्तर पर ही सत्यापन पूरा हो जाएगा।

पहले भी नौ राज्यों के 31 जिलाधिकारियों को नागरिकता अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत नागरिकता देने की शक्ति मिली हुई थी। नई व्यवस्था में धारा 6बी के तहत अधिकार का दायरा बढ़ाया गया है। धारा 6बी विशेष रूप से सीएए के तहत आए लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें सामान्य प्रक्रिया से अलग तेजी से नागरिकता मिल सके। इस बदलाव से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के पात्र लोगों को फायदा मिलेगा। उनका 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुका होना जरूरी है।

ये लोग लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, लेकिन नागरिकता न होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं, बैंक खाते, पासपोर्ट और अन्य अधिकारों में दिक्कत होती थी। अब कलेक्टर स्तर पर फैसला होने से उनकी परेशानी जल्द खत्म होगी। राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों की संख्या ज्यादा है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में हजारों परिवार दशकों से रह रहे हैं। अकेले राजस्थान में करीब 600 आवेदन लंबित हैं, जो अब कलेक्टर के पास जाएंगे। इससे इन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। गुजरात के कच्छ और बनासकांठा में भी ऐसे कई मामले हैं। इसी तरह पंजाब में भी अफगानिस्तान से आए सिख परिवारों के मामले हैं।

सुरक्षा जांच में कोई ढील नहीं दी जाएगी। कलेक्टर को फैसला करने से पहले एसआईबी और अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट लेनी होगी। दस्तावेजों की गहन जांच होगी और पात्रता सुनिश्चित होने पर ही नागरिकता दी जाएगी। अधिकार का विकेंद्रीकरण किया गया है, लेकिन सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है।

यह कदम सीएए को जमीन पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि सीएए केवल कागजों में है, लेकिन अब जिला स्तर पर अधिकार देने से प्रक्रिया तेज होगी। इससे केंद्र की सशक्त समिति पर बोझ कम होगा और आवेदकों को समय पर न्याय मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नागरिकता मिलने की प्रक्रिया छह महीने से एक साल के भीतर पूरी हो सकेगी, जो पहले दो से तीन साल तक खिंच जाती थी।

सीएए को लेकर देशभर में कई तरह की भ्रांतियां रही हैं, लेकिन सरकार का यह नया नियम उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो वर्षों से नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। कलेक्टर को अधिकार मिलने से पारदर्शिता बढ़ेगी, स्थानीय सत्यापन आसान होगा और फर्जी आवेदनों पर रोक भी लगेगी। जरूरत है कि प्रशासन इस अधिकार का उपयोग संवेदनशीलता और तेजी से करे, ताकि जो लोग प्रताड़ना से भागकर भारत आए हैं, उन्हें जल्द से जल्द भारतीय होने का गर्व मिल सके।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल सड़क नहीं, भारत की सांस है, इसे बचाना सर्वोच्च राष्ट्रीय धर्म

'चिकन नेक' कहलाता है देश का सबसे नाजुक हिस्सा

भारत के नक्शे को ध्यान से देखिए तो एक जगह ऐसी दिखेगी, जहां देश की चौड़ाई सिमटकर महज 22 किलोमीटर रह जाती है। यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे 'चिकन नेक' कहा जाता है। यह कोई सामान्य गलियारा नहीं है। यह वह नाड़ी है, जो आठ पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के दिल से जोड़ती है। गृह मंत्री अमित शाह ने जब इसे देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बताया तो यह महज एक बयान नहीं था, बल्कि आने वाले खतरे की ओर एक गंभीर चेतावनी थी।

यह गलियारा तीन देशों से घिरा है। एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चीन की नजरें गड़ी बैठी हैं। डोकलाम की घटना अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, जब चीन ने इस कॉरिडोर के करीब अपनी सड़क बनाने की कोशिश की थी और भारतीय सेना को 73 दिन तक आंख में आंख डालकर खड़ा होना पड़ा था। इसलिए सिलीगुड़ी का महत्व समझना केवल भूगोल नहीं, बल्कि रणनीति को समझना है।

खुली सीमाओं का अभिशाप और एसएसबी की कठिन ड्यूटी: इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी चुनौती है खुली सीमा। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के पास 1751 किलोमीटर नेपाल और 700 किलोमीटर भूटान की बिना बाड़ वाली सीमा की जिम्मेदारी है। यह दुनिया की सबसे कठिन सीमाओं में से एक है। यहां न तो नदी है, न पहाड़, जो रोक सके। यहां रिश्ते हैं, संस्कृति है, रोजगार है, लेकिन इसी खुलेपन का फायदा दुश्मन उठाते हैं।

मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली नोट और घुसपैठ - ये सब इसी खुले रास्ते से होते हैं। गृह मंत्री ने 189 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण कर एक बड़ा संदेश दिया है कि अब जवानों को बेहतर सड़क, बेहतर बैरक और बेहतर निगरानी के साधन मिलेंगे। लेकिन केवल पैसा देना काफी नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम इस खुले बॉर्डर को बिना मित्रता तोड़े सुरक्षित बना सकते हैं? इसका जवाब है त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड।

त्रिकोणीय ग्रिड का मतलब है एसएसबी, बीएसएफ और राज्य पुलिस के बीच रीयल टाइम खुफिया जानकारी का साझा होना। ड्रोन, सैटेलाइट और मानव खुफिया तंत्र का एक साथ काम करना। अब तक ये एजेंसियां अलग-अलग काम करती थीं। अब इन्हें एक ही कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा है। यह एक क्रांतिकारी कदम है।

लेकिन असली लड़ाई जमीन पर है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर 600 किलोमीटर से ज्यादा फेंसिंग का काम सालों से रुका था, क्योंकि जमीन नहीं मिल रही थी। गृह मंत्री का यह कहना कि सरकार बनने के 45 दिन में ही 1129 एकड़ जमीन मिल गई, यह बताता है कि पहले इच्छाशक्ति की कमी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को वोट बैंक की राजनीति की बलि चढ़ाया जा रहा था। बाड़ लगने से घुसपैठ रुकेगी और जब घुसपैठ रुकेगी तो जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने का खतरा भी टलेगा।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर को समझने के लिए बांग्लादेश और चीन की नई दोस्ती को भी समझना होगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। चीन चाहता है कि वह बंगाल की खाड़ी तक पहुंच बनाए और इसके लिए वह चिकन नेक के करीब अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है।

यदि किसी युद्ध या तनाव की स्थिति में यह कॉरिडोर कट गया तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भारत से कट जाएंगे। सेना का रसद मार्ग बंद हो जाएगा। हवाई मार्ग भी चीन की मिसाइल रेंज में आ जाएगा। यही कारण है कि चीन के रणनीतिकार हमेशा इस कॉरिडोर को काटने की योजना बनाते हैं।

सिलीगुड़ी को केवल बंकर और बाड़ से नहीं बचाया जा सकता। इसे बचाने के लिए वहां के लोगों का दिल जीतना होगा। पूर्वोत्तर के लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि दिल्ली उनके साथ है। इसलिए सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार जरूरी है। वैकल्पिक मार्गों का निर्माण जरूरी है। सरकार को एक दूसरे कॉरिडोर पर भी सोचना होगा, जो नेपाल या बांग्लादेश से होकर नहीं, बल्कि भारत के भीतर से ही पूर्वोत्तर को जोड़े। यह काम कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार देकर उन्हें सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा बनाना होगा।

अमित शाह का बयान एक चेतावनी भी है और संकल्प भी। चेतावनी इस बात की कि दुश्मन हमारी सबसे कमजोर नस को दबाना चाहता है और संकल्प इस बात का कि हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं है। यह पूरे भारत की संप्रभुता का सवाल है।

आज इस 22 किलोमीटर की पट्टी को सुरक्षित नहीं कर पाए तो कल 22 हजार किलोमीटर की सीमा को सुरक्षित करने की बात बेमानी हो जाएगी। इसलिए इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। केंद्र और राज्य को एक साथ आना होगा, क्योंकि जब चिकन नेक सुरक्षित है, तभी भारत का माथा ऊंचा है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)